न्यायालय में- माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

R. 5053-पीबीआर/15

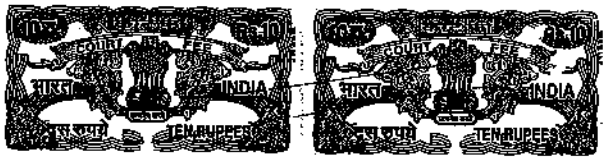

रू-20/-

107
15-9-15

रामानुज गुप्ता आयु 63 वर्ष, पुत्र स्व. बलभद्र गुप्ता, निवासी वार्ड नं. 6 स्टेट बैंक के पास कोतमा, पोस्ट कोतमा, थाना व तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

—————— आवेदक

बनाम

1. श्रीमती विद्या देवी उम्र 68 वर्ष, पत्नी स्व. निवास पाण्डेय
2. दिवाकर पाण्डेय उम्र 47 वर्ष पुत्र स्व. निवास पाण्डेय
3. विजय कुमार पाण्डेय उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. निवास पाण्डेय
4. संजय पाण्डेय उर्फ नन्हू पुत्र स्व. निवास पाण्डेय सभी निवासी ग्राम कोतमा, पुरानी बस्ती वार्ड नं. 5, थाना व तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)
5. मध्य प्रदेश शासन

—————— अनावेदकगण

श्री रजनीश मिश्रा द्वारा आज दिनांक 15-9-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान् तहसीलदार साहब कोतमा के राजस्व प्रकरण क्र. 126/अ-122/14-15 में पारित आदेश दिनांक 27/07/15 सीमांकन आदेश के विरूद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :-

निगरानी का संक्षेप

1. यहकि, ग्राम कोतमा की आराजी खसरा नं. 558 रकबा 0.652 हेक्टेयर का पूर्व भूमिस्वामी लल्लू केवट था, लल्लू केवट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक ने अंश रकबा 0.162 हेक्टेयर भूमि क्रय कर नामांतरण कराते हुए मौके से सीमांकन कराते हुए वाल बाउण्ड्री बनाकर काबिज दाखिल है। इस तरह प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. वर्तमान में 558/2 रकबा 0.162 हेक्टेयर के भूमिस्वामी पट्टेदार आवेदक है।

2. यहकि, ग्राम कोतमा की आराजी खसरा नं. 960 एवं 961 के भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं। खसरा नं. 960 को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1966 में पी.डब्ल्यू.डी. रोड के लिए 0.320 हेक्टेयर अधिग्रहीत कर रोड निर्माण कराया गया है, किन्तु आज दिनांक तक अनावेदकों का नाम खसरे से विलोपित कर मध्य प्रदेश शासन अंकित नहीं किया गया, तथा शेष भूमि एच.एन.78 में समायोजित हो चुका है इस प्रकार अनावेदकों की कोई भूमि खसरा नं. 960 में स्थित नहीं है तथा खसरा नं. 960 की सम्पूर्ण भूमि मध्य प्रदेश शासन की है।

3. यहकि, अनावेदकगणों के द्वारा खसरा नं. 960 के आड़ में खसरा नं. 558/2 आवेदक की भूमि पर अतिक्रमण करने लगे तब आवेदक ने व्यवहार न्यायाधीश महोदय कोतमा के न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 558/2 रकबा 0.162 हेक्टेयर, जिसे खसरा नं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5053–तीन/2015 जिला अनूपपुर

रामानुज गुप्ता विरूद्ध श्रीमती विद्यादेवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –2–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 126/अ–122/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेष की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख अनूपपुर एवं गठित दल के सदस्यों द्वारा सीमांकन करने के उपरांत प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27–7–15 से सीमांकन की पुष्टि की है। तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक रामानुज गुप्ता द्वारा सीमांकन दल के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण सीमांकन दल द्वारा किया गया था और तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से सीमांकन की पुष्टि की गई। आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदकों का नाम खसरे से न हटने के फलस्वरूप खसरा नं0 960 के आड़ में खसरा नं0 558/2 पर विवाद करने लगे, जिससे आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया जिसमें दिनांक 8–10–14 को व्यवहार न्यायालय ने आवेदक के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, परन्तु आवेदक अभिभाषक अपने तर्क की पुष्टि हेतु व्यवहार न्यायालय	

17 February 2016

के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। अतः निगरानी में ग्राह्यता के आधार प्रकट नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य